फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरकार बनाम रामकुमार व अन्य

किस्म मुकदमा :– 136 एल0आर0ए0 प्रकरण संख्या :– 16/2020

GCMS:- 2020/00030

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.09.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के वाके रोही ताखरांवाली के खाता संख्या 9/8 के खसरा सं. 17/1/29.120 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के वाके रोही ताखरांवाली के खाता सं. 9/8 के खसरा सं. 17/1 में 29.120 है0 अप्रार्थी सं. 1 ता 2 के नाम 36 हिस्सा ब.हि.बराबर अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम 18 हिस्सा ब.हि. बराबर अप्रार्थी सं. 7 व 8 के नाम 780 हिस्सा ब.हि.बराबर अप्रार्थी सं. 12 व 13 के नाम 289 हिस्सा ब.हि.बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही ताखरांवाली की जमाबंदी सम्वत् 2046 ता 49 के खाता सं. 20/168 के खसरा सं. 17/134.03 बीघा अर्थात 2683 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के ससुर/दादा देवीलाल वल्द रावताराम के नाम 1003 हिस्सा दज राजस्व रिकार्ड था। अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता भूमि रोही ताखरांवाली सम्वत् 2050 ता 2053 के खाता सं. 18/20 के ख.सं. 17/134.03 बीघा यानि 2683 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज भूमि में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के ससुर/दादा देवीलाल वल्द रावताराम के नाम 1003 हिस्सा के स्थान पर सहवन/त्रुटिवंश 1013 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के ससुर/दादा देवीलाल के नाम 1003 हिस्सा में से रकबा का बेचान अप्रार्थी सं. 11 ता 13 को 588 हिस्सा बैयनामा उपपंजीयक सूरतगढ़ के समक्ष करवा दिया गया तथा उक्त खाता में सहवन से देवीलाल वल्द रावताराम के नाम 10 हिस्सा यानि 0.126 है0 रकबा अधिक दर्ज होने के कारण वर्तमान जमाबंदी में मिलान नही होने के कारण उक्त रकबा अप्रार्थीगण 1,2,3 ता 5 के नाम 10 हिस्सा कम किया जाना आवश्यक है। उक्त खाता अपवादित खाता में है। राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसील स्तर पर सेग्रीगेशन व डीआईएलआरएमपी कार्यवाही के दौरान उक्त खाता अपवादित खाता पाया गया है। वर्तमान जमाबंदी में हिस्सा–कस्सी अधिक होने से जमाबंदी का रकबा मिलान नही पा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही ताखंरवाली की जमाबंदी सम्वत् 2046 ता 49 में अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता देवीलाल के नाम 1003 हिस्सा के स्थान पर 1013 हिस्सा दर्ज हो गया, इसे अप्रार्थी 1,2,3 ता 5 के नाम दर्ज 54 हिस्सा में से 10 हिस्सा कलमजन किया जावे तथा रोही ताखंरावाली की जमाबंदी सम्वत् 2066 ता 69 के खाता सं. 9/8 में दुरस्त करते हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम 36 हिस्सा के स्थान पर 30 हिस्सा ब.हि.बराबर व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम 18 हिस्सा के स्थान पर 14 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। पत्रावली प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये दैनिक समाचार पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पैरोकार/प्रार्थी पक्ष की बहस दिनांक 19.08.2020 को सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। रोही ताखंरावाली की जमाबंदी सम्वत् 2046 ता 49 में देवीलाल वल्द रावताराम कौम जाट ताखर सा. रंगमहल के नाम 1003 हिस्सा भूमि दर्ज थी। किन्तु सम्वत् 2050–53 में सहवन से देवीलाल के नाम 1013 हिस्सा भूमि दर्ज हो गई। जो कि स्पष्ट त्रुटि प्रतीत होती है। इसी अनुसार आगे राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर अप्रार्थी सं. 1,2 3 ता 5 के नाम दर्ज हो गयी। इसलिये उक्त त्रुटि दुरस्त की जाना उचित प्रतीत होती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके रोही ताखंरावाली की जमाबंदी सम्वत् 2066 ता 69 के खाता सं. 9/8 में दुरस्त करते हुए अप्रार्थी सं. 1 (रामकुमार) व 2 (जगदीश) के नाम 36 हिस्सा के स्थान पर 30 हिस्सा ब.हि.बराबर व अप्रार्थी सं. 3 ता 5 (मंजु, डिम्पल, प्रियंका) के नाम 18 हिस्सा के स्थान पर 14 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद [illegible]। रहन का नोट सम्बन्धित काश्तकार के पक्ष में पूर्ववत रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	2456

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:16:29 IST
Reason: SelfAttested